

सं०-ए 19011/4(31)/2016/स्था०-एक/17-27

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

क०सं० 305 (द०), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 12 जनवरी, 2018

—: कार्यालय आदेश :—

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री गिरीश कुमार, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, दिनांक: 31/01/2018 (अपराह्ण) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जायेंगे।


(आर०के० शर्मा)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:—

- 1— प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 2— प्रधान निजी सचिव/सदस्य (डीएण्डआर)/डब्ल्यूपीएण्डपी/आरएम, के०ज०आ०, नई दिल्ली।
- 3— सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
- 4— जल संसाधन मंत्रालय, न०वि० एवं गं०सं० (श्री नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव, स्था०-एक) नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
- 5— श्री गिरीश कुमार, निदेशक (एचसीडी-एनएवंडब्ल्यू), के०ज०आ०, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक: 31/01/2018 को कार्यभार सौंप दें।
- 6— निदेशक-(प्रशासन/स्थापना)/प्रशिक्षण/तकनीकी प्रलेखन/तकनीकी समन्वय/ अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजन एवं परियोजना/नदी प्रबंधन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 7— सभी अवर सचिव/उपनिदेशक - (डब्ल्यू०पी०सी०)/उपनिदेशक (राजभाषा)/सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- 8— अनुभाग अधिकारी - सीएमएण्डवी/ओएण्डएम/आरएण्डआई, के०ज०आ०, नई दिल्ली।
- 9— लेखा-एक/तीन/स्था०-आठ/लाईब्रेरी-के०ज०आ०/केन्द्रीय सचिवालय-लाईब्रेरी/कोपारेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिटसोसायटीलि०/एस०एम०निदे०/डब्ल्यू०पी०सी०/पी०सी०पी०आईडेंटिकार्ड/टेलीफोन/टेक०स्टोर/एस०डी०अ० (मु०) को के०ज०आ० के ओ०एम० नं० F.No. 12/94/2012-O&M/1574 dated 07.11.2016 के संदर्भ में। उनसे अनुरोध है कि वे के०ज०आ० की वेबसाइट पर उपलब्ध किये गये 'अनादायगी प्रमाण पत्र' पर संबंधित अधिकारी के पक्ष में भर कर स्थापना-एक अनुभाग, के०ज०आ० को 10 दिनों के अंदर भेज देने का कष्ट करें अन्यथा यह मान लिया जायगा कि संबंधित अधिकारी पर किसी प्रकार के कोई भी बकाया शेष नहीं है।
- 10— सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी हेतु।
- 11— स्था०-एक, के०ज०आ० की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु। (श्री अनिल कुमार, क०स०स०)
- 12— कार्यालय आदेश फोल्डर।

(अग्रेजी रूपांतर पिछले पृष्ठ पर)

*मुखर्जी-

No. A19011/4 (31)/2016-Estt.I/ 17-27

Government of India
Central Water Commission

New Delhi, dated: the 12th January, 2018

OFFICE ORDER

On attaining the age of superannuation Shri Girish Kumar, Director, CWC, will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31-01-2018.


(R.K.SHARMA)
SECTION OFFICER

Copy to :

1. PPS to Chairman, CWC.
2. PPS to Secretary/Member (D&R)/(WP&P)/(RM), CWC.
3. All Chief Engineers, CWC.
4. Ministry of Water Resources, RD&GR [Shri Narendra Singh, US (E-I)], Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
5. Shri Girish Kumar, Director(HCD-N&W), CWC, New Delhi. He is requested to submit charge relinquishment report on 31-01-2018.
6. Director (Admn. /Estt.)/Trg./TD/TC/D&R Coordn. /WP&P Coordn. /RM Coordn, CWC.
7. All Under Secretaries/DD (WPC)/OL & Security Officer, CWC, New Delhi.
8. S.O. CM&V/O&M/R&I, CWC, New Delhi.
9. **Accounts – I/ III/ Estt. VIII/ Library –CWC/ Central Secretariat Library/ Co-op. Thrift & Credit Society Ltd/ S.M. Dte/WPC/ PCP – Identity Card/Telephone /Tech. Store/SDO (HQ). With reference to CWC's O.M. No. F. No.12/94/2012-O&M/1574, dated, 7-11-2016, it is requested to send 'No Demand Certificate' to Establishment I Section, in the prescribed format as available in CWC Website, within 10 days failing which it would be presumed that nothing is pending.**
10. Copy for service book.
11. For uploading on CWC website.
12. Office Order folder.